वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा
कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 52वीं बैठक दिनांक 27 जुलाई 2015 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे, मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः–

01	प्रो0 विनय पाठक कुलपति, वमखुविवि,कोटा।	अध्यक्ष
02	डा0 सुभाष चंद्र निदेशक, क्षे0के0,वमखुविवि,बीकानेर।	सदस्य
03	प्रो0 पी0के0 शर्मा वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
04	प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
05	प्रो0 कर्ण सिंह वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
06	प्रो0 (श्रीमती) कमलेश शर्मा, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
07	प्रो0 अशोक शर्मा वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
08	प्रो0 जे0 के0शर्मा वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
09	प्रो0 याकूब अली खान, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
10	प्रो0 एच0बी0 नंदवाना वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
11	प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
12	प्रो0 दिनेश गुप्ता, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
13	डॉ0 आर0 के0 जैन सह आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
14	डा0 योगेश शर्मा, सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
15	डॉ0 श्रीमती कीर्ती सिंह, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
16	डॉ0 श्रीमती अनुराधा दुबे, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
17	डा0 सुबोध कुमार, सह आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
18	डॉ0 अनिल कुमार जैन, सह आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
19	डॉ0 (श्रीमती) क्षमता चौधरी सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य

20	डॉ0 (श्रीमती) मीता शर्मा सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
21	डॉ0 अनुरोध गोधा सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
22.	डा0 आलोक चौहान सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
23.	श्री रवि गुप्ता सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
24.	श्री सुशील राजपुरोहित सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
25.	डा0 श्रीमती सरिता गौतम सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
26.	श्री संदीप हुड्डा सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
27.	श्री नीरज अरोड़ा, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
28.	डा0 नित्यानंद शर्मा, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
29.	प्रो0 अनिल शुक्ला लखनऊ वि0वि0 लखनऊ ।	सदस्य
30.	प्रो0 पी0एस0 वर्मा राज0 वि0वि0, जयपुर।	सदस्य
31.	परीक्षा नियंत्रक वमखुविवि,कोटा।	विशेष आमंत्रित
32.	कुलसचिव वमखुविवि,कोटा।	सदस्य सचिव

आवश्यक गणापूर्ति के बाद कार्यसूची विवरण में प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करते हुए निम्नानुसार निर्णय किए गए:–

52/01 विद्या परिषद की 51वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 51वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को किए गए संशोधन क्रमांकः–400 दिनांकः–07.04.2015 सहित अनुमोदित किया गया।

52/02 विद्या परिषद की 51वीं बैठक के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

विद्या परिषद की 51वीं बैठक के निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही पर संतोष प्रकट करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन को नोट किया गया।

52/03 कंप्यूटर साइंस कार्यक्रम की पाठ्यक्रम विकास समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन का प्रस्ताव।

विद्या परिषद द्वारा कंप्यूटर साइंस कार्यक्रम की पाठ्यक्रम विकास समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

52/04 BHHM कार्यक्रम के आंतरिक मूल्यांकन एवं पाठ्यसामग्री के सम्बन्ध में वाणिज्य एवं प्रबंध विद्यापीठ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 725 दिनांक 27.05.15 अवलोकन एवं पुष्टि का प्रस्ताव।

BHHM कार्यक्रम के आंतरिक मूल्यांकन एवं पाठ्यसामग्री के सम्बन्ध में वाणिज्य एवं प्रबंध विद्यापीठ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 725 दिनांक 27.05.15 की सदन द्वारा पुष्टि की गई।

52/05 स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रम में लैटरल एन्ट्री के तहत पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के सम्बन्ध में जारी आदेश संख्या 306 दिनांक 09 जून 2015 पुष्टि हेतु ।

लैटरल एन्ट्री के तहत पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के सम्बन्ध में जारी आदेश संख्या 306 दिनांक 09 जून 2015 की पुष्टि की गई।

52/06 कश्मीर विस्थापितों को प्रवेश नियमों में शिथिलता प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

कश्मीर विस्थापितों को प्रवेश नियमों में शिथिलता प्रदान किए जाने सम्बन्धी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.3.1/2012–एन.ई.आर. दिनांक 12 मार्च 2015 में दी गई व्यवस्थाओं को स्वीकार करने का निर्णय किया गया।

52/07 एम0ए0/एम0एस0सी, भूगोल (पूर्वाद्व एवं उतराद्व) कार्यक्रमों में प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में जारी आदेश की पुष्टि का प्रस्ताव।

एम0ए0/एम0एस0सी, भूगोल (पूर्वाद्व एवं उतराद्व) कार्यक्रमों में प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में जारी आदेश की पुष्टि की गई।

52/08 बी0 एस0 डबल्यू कार्यक्रम के पाठ्यक्रम कोड में परिर्वतन का प्रस्ताव।

कार्यक्रम के कोड परिर्वतन के सम्बन्ध में निर्णय हेतु सदन द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किये जाने का निर्णय किया गयाः–

1. प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर
2. प्रो0 कर्ण सिंह
3. प्रो0 बी0 अरूण कुमार

उक्त समिति प्रकरण पर विचार कर अनुशंषा देगी, तदुपरांत इस पर निर्णय लिया जायेगा।

52/09 एम0 एस0 सी0 (फिजिक्स, बॉटनी एवं ज्यूलोजी) के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री के उपयोग बाबत् प्रस्ताव।

एम0 एस0 सी0 (फिजिक्स, बॉटनी एवं ज्यूलोजी) के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री के उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि जनवरी 2015 के शैक्षणिक सत्र में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय की पाठ्यसामग्री अंगीकृत कर ली जाए तथा जुलाई 2015 में प्रवेशित छात्रों के लिए वमखुविवि द्वारा स्वनिर्मित पाठ्यसामग्री उपलब्ध करवाई जाए। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विषय संयोजकों द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि दिनांक 04 अगस्त 2015 तक फिजिक्स एवं 10 अगस्त 2015 तक एम0ए0 केमिस्ट्री की पाठ्यसामग्री तैयार कर ली जाएगी।

52/10 रसायन शास्त्र में शिक्षकों की भर्ती हेतु तैयार किए जाने वाले पैनल का अनुमोदन।

रसायन शास्त्र में शिक्षकों की भर्ती हेतु तैयार किए जाने वाले पैनल का अनुमोदन किया गया।

52/11 सी0 पी0 डी0 एल0 के विद्यार्थियों को हिन्दी में पाठ्यसामग्री उपलब्ध करवाने एवं फीस निर्धारण बाबत् प्रस्ताव।

सी0 पी0 डी0 एल0 कार्यक्रम का कोर्स कंटेंट हिन्दी में तैयार करवाने तथा कार्यक्रम शुल्क रू0 4000/– से बढाकर 5000/– किए जाने का अनुमोदन किया गया।

52/12 शोध पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक को ही रखे जाने का प्रस्ताव।

शोध पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक को ही रखे जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F.10-2011(PS)Miss 06.07.15 में दी गई व्यवस्था को स्वीकार करते हुए निर्णय किया गया कि एम0फिल0 एवं पी0एच0डी0 उपाधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेग्युलेशन 2009 के तहत विश्वविद्यालय में उपलब्ध नियमित शिक्षकों को ही पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए।

52/13 शिक्षा विषय में पंजीकृत शोध छात्रों के निर्देशक के सम्बन्ध में निर्णय का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में डा0 रजनी रंजन सिंह द्वारा विश्वविद्यालय सेवा से त्यागपत्र नहीं दिया गया है,बल्कि वे असाधरण अवकाश स्वीकृत करवा कर गए है, तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक है, अतः सदन द्वारा यह निर्णय किया कि उनके अधीन पंजीकृत शोध छात्रों के निर्देशक परिर्वतन की आवश्यकता नहीं है।

52/14 शोध बोर्ड की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न दिनांक 26 एवं 27 मार्च 2015 को आयोजित रिसर्च बोर्ड की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

52/15 एन0सी0टी0ई0 के पत्र दिनांक 01 मई 2015 की पालना में बी0एड0 कार्यक्रम की प्रवेश योग्यता बाबत् जारी आदेश अनुमोदनार्थ।

सदन द्वारा एन0सी0टी0ई0 के पत्र दिनांक 01 मई 2015 की पालना में बी0एड0 कार्यक्रम की प्रवेश योग्यता बाबत् जारी आदेश का अवलोकन कर उसकी पुष्टि की गई।

52/16 एन0सी0टी0ई0 के मानदण्ड 2014 एवं एनसीएफटीई 2009 के अनुसार बी0एड0 (ओ.डी.एल.) कार्यक्रम में प्रस्तावित दो मॉडल पाठ्यक्रमों में से सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम के स्थान पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम को जुलाई 2015–17 सत्र से लागू किए जाने के सम्बन्ध में शिक्षा विद्यापीठ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6085–89 दिनांक 21 जुलाई 2015 संलग्न परिशिष्ट पर अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बी0एड0 (ओ.डी.एल.) कार्यक्रम में प्रस्तावित दो मॉडल पाठ्यक्रमों में से सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम के स्थान पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम को जुलाई 2015–17 सत्र से लागू किए जाने का निर्णय किया गया।

52/17 माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित संकाय सदस्यों की बैठक में किए गए निर्णय की पालना में स्थगित किए गए कार्यक्रमों की सूचना पुष्टि हेतु।

स्थगित कार्यक्रमों की सूचना को नोट किया गया तथा योगा सम्बन्धी निम्नलिखित कार्यक्रम जनवरी 2015 से प्रारंभ किए जाने सम्बन्धी निर्णय की पुष्टि की गईः–

- डिप्लोमा इन योग एवं आयुर्वेद पंचकर्म
- डिप्लोमा इन योग एवं नैचुरोपैथी

52/18(1) च्वाइस बेस्ड क्रडिट सिस्टम लागू किए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 द्वारा जारी गाइडलाइन का अवलोकन करते हुए विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य उभरकर आया कि इसके अधिकांश प्रावधानों/प्रक्रियाओं को विश्वविद्यालय में अपनाया हुआ है, कुछ प्रक्रियाऐं / कार्यवाही शेष हैं, जिनके सम्बन्ध में शीघ्र विचार विमर्श कर लागू कर लिया जाएगा।

52/18(2) प्रायोगिक शिविर एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के पारिश्रमिक/ मानदेय में संशोधन का प्रस्ताव।

प्रायोगिक शिविर एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के पारिश्रमिक/ मानदेय में संशोधन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय सेवा प्रभाग द्वारा गठित समिति की दिनांक 16 जुलाई 2015 को आयोजित बैठक में विचार विमर्श उपरांत इससे सम्बन्धित कार्यो के लिए दिए जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक के लिए समिति द्वारा निर्धारित दरों का अनुमोदन किया गया।

52/18(3) एकेडेमिक कलैंडर सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

कायसूची विवरण के साथ प्रस्तुत एकेडेमिक कलैंडर को इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि, दीक्षांत समारोह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य, महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदान की गई तिथि पर आयोजित किया जाए।

52/18(5) योगा पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति के प्रस्ताव सूचनार्थ।

योगा पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

52/18 (4) पाठ्यक्रम शुल्क संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रस्ताव के साथ संलग्न शुल्क सूची का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से बी0एड0 कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क वसूला जाए।

52/18(6) पाठ्यक्रम स्थगित किए जाने का निणर्य सूचनार्थ।

सदन द्वारा निम्नलिखित दो कार्यक्रमों को जुलाई 2015 से स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश को नोट किया गया।:–

1. प्रसूति विद्या में प्रमाण पत्र कार्यक्रम जुलाई 2015 से स्थगित
2. परिवार शिक्षा में प्रमाण पत्र कार्यक्रम जुलाई 2015 से स्थगित

52/18(7) पी0जी0डी0जी0एन0–05 के शैक्षणिक एवं मूल्यांकन व्यवस्था में परिवर्तन का प्रस्ताव।

''पी0जी0डी0जी0एन0–05 प्रश्न पत्र के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि पूर्व की भांति इस प्रश्न पत्र की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। विद्यार्थी को गांधी के रचनात्मक कार्यो से सम्बन्धित 15–20 पृष्ठ (लगभग 400 शब्द) का एक लिखित प्रतिवेदन परीक्षा नियंत्रक,वमखुविवि,को जमा करवाना होगा। इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थी को जमा किए गए प्रतिवेदन और मौखिक परीक्षा के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रतिवेदन एवं मौखिक परीक्षा सम्मिलित रूप में 100 अंक की होगी। इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थी को कोई अध्ययन सामग्री नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था जुलाई 2015 सत्र से लागू की जाएगी।

52/18(8) परीक्षा में अनुपस्थित दिखाए गए विद्यार्थियों के बारे में स्थापित व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या का अनुमोदन।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदन को अवगत करवाए जाने के बाद निम्नानुसार निर्णय किया गयाः—

1. यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के उपरांत भी परीक्षा परिणाम में अनुपस्थित दर्शाया जाता है तो विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित हुए क्रेडिट कोर्स के प्रश्न पत्रों की सत्रांत परीक्षा के उपलब्ध प्राप्तांकों के आधार पर आनुपातिक अंक दे दिए जाए ।
2. यदि उत्तर पुस्तिका खो गई है तो उपरोक्तानुसार अनुपातिक अंक प्रदान किए जाएं।
3. यदि उत्तर पुस्तिका खो गई है और विद्यार्थी पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन करता है तो विद्यार्थी को बिना परीक्षा शुल्क लिए आगामी परीक्षा में सम्मिलित किया जाए।

नोन क्रेडिट कार्यक्रमों की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका खो जाने पर अनुपातिक अंक देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित समिति इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुशंसा करेगीः—

1. निदेशक (संकाय)
2. प्रो0 दिनेश गुप्ता
3. परीक्षा नियंत्रक

उपरोक्तानुसार कार्यवाही से पूर्व अनुपातिक अंक प्रदान किए जाने हेतु परीक्षार्थी की सहमति प्राप्त कर ली जाए, कार्यक्रम की अधिकतम समय सीमा समाप्त होने की दशा में **''मर्सी''** अवसर के रूप में एक मौका परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रदान किया जाय।

52/18(9) प्रायोगिक परीक्षा में डिफाल्टर विद्यार्थियों के लिए कैंप/कक्षा सहित प्रायोगिक परीक्षा देने सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय किया गयाः—

1. सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम जिसमें प्रायोगिक शिविर (प्रेक्टिकल कैंप) सहित प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित है,उनके लिए शुल्क रू0 1000/—(एक हजार रू0 प्रति प्रश्न पत्र) होगा।
2. सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम जिसमें प्रायोगिक शिविर (प्रेक्टिकल कैंप)सहित प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित है,उनके लिए शुल्क रू0 2000/—(दो हजार रू0 प्रति प्रश्न पत्र) होगा।
3. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रायोगिक शिविर (प्रेक्टिकल कैंप)में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, तभी वह उस समय आयोजित प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा। न्यूनतम उपस्थिति के अभाव में छात्र को भविष्य में आयोजित प्रायोगिक शिविर (प्रेक्टिकल कैंप) में पुनः उपरोक्तानुसार शुल्क जमा करना होगा।

निर्धारित कार्यसूची विवरण पर चर्चा एवं उपरोक्तानुसार निर्णय के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को जानकारी दी गई कि दिनांक 16 जुलाई 2015 को कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में निर्देशित किया है कि परीक्षाओं हेतु पेपर तैयार करने, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मार्किंग स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय किए गए है तथा उक्त मार्किंग स्कीम चालू शैक्षणिक सत्र 2015–16 से लागू किए जाने का निर्णय हुआ है, माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को मार्किंग स्कीम की जानकारी देते हुए इस विश्वविद्यालय में भी लागू किए जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर निर्णय किए जाने का प्रस्ताव सदन में रखा।

मार्किंग स्कीम के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा दी गई जानकारी के उपरांत विद्या परिषद द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र से उक्त मार्किंग स्कीम लागू किए जाने का निर्णय किया गया।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव (विद्या परिषद)